150

संख्या-3712/1-10-2013-12(66)/12

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सिद्धार्थनगर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक : 15 जनवरी , 2014

विषय वर्ष 2012-13 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनाबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-376/राहत लिपिक/2013-14, दिनांक 23.12.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा डेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के 52 कार्यों के सापेक्ष रू0 461.76 लाख का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि रू0 493.38 लाख द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-953/1-10-2013-12(66)/2012, दिनांक 26.02.2013 द्वारा डेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के 53 कार्यों (52 कराये जाने वाले कार्य तथा 01 कराये गये कार्य आगणन रू0 955.14 + 31.62=986.76 लाख) की मरम्मत हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 4,93,38,000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अत: द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 4,93,38,000/- (रूपये चार करोड़ तिरानबे लाख अड़तीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	कार्य की लागत (लाख रू0 में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 0.000 से 2.200 तक बांध की पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य।	22.25	11.125
2	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 2.200 से 2.400 के मध्य बेलवा कटान स्थल पर झावा कटर्स की पुनर्स्थापना का कार्य।	38.70	19.35
3	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 3.100 से 19.000 के मध्य रेनकट्स की भराई में मिट्टी का कार्य।	39.42	19.71
4	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 11.800 से 11.950 के मध्य महुआ घाट कटाव निरोधक कार्य की पुनर्स्थापना का कार्य।	34.11	17.55
5	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 12.400 से 14.000 तक बांध की पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य।	16.37	8.185
6	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 13.900 से 14.000 के मध्य कटहा कटान स्थल पर कटाव निरोधक कार्य की पुनर्स्थापना का कार्य।	34.11	17.55
7	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 15.200 से 15.350 के मध्य इमिलिहा कटान स्थल कटाव निरोधक कार्य की पुनर्स्थापना का कार्य।	19.48	9.79

8	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 15.400 से 15.550 के मध्य इमिलिहा कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य।	24.15	12.75
9	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 16.600 से 17.000 के मध्य परसपुर रिंग बांध के कटान स्थल पर कटाव निरोधक कार्य की पुनर्स्थापना का कार्य।	39.44	19.72
10	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 19.000 से 32.000 के मध्य बाढ़/अतिवृष्टि से हुई क्षति का पुनर्स्थापना कार्य।	12.50	6.25
11	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 19.000 से 32.000 के मध्य रेनकट्स की भराई हेतु मिट्टी का कार्य।	38.24	19.12
12	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 24.800 पर स्थित सेमरा कटान स्थल के क्षतिग्रस्त कटर नम्बर, 1, 2, 3, व 4 की पुनर्स्थापना का कार्य।	16.62	8.31
13	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 24.850 पर स्थित सेमरा कटान स्थल पर बाढ़/अतिवृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त कटर नम्बर, 4, 5 व 6 का पुनर्स्थापना का कार्य का प्राक्कलन।	14.91	7.45
14	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 26.000 से 27.700 के मध्य भारी बाढ़/अतिवृष्टि से हुई क्षति का पुनर्स्थापना का कार्य का प्राक्कलन।	9.92	4.96
15	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 29.000 से 30.000 के मध्य बाढ़/अतिवृष्टि से हुई क्षति का पुनर्स्थापना का कार्य का प्राक्कलन।	7.50	3.25
16	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 30.150 बेलौहा कटान स्थल पर क्षतिग्रस्त कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य।	19.46	9.73
17	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 32.000 से 33.800 के मध्य अतिवृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त स्लोप एवं टाप की पुनर्स्थापना में मिट्टी का कार्य।	16.10	8.05
18	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 32.000 से 46.000 तक रेनकट्स भराई हेतु मिट्टी का कार्य।	38.82	19.41
19	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 33.200 से 37.400 के मध्य खैरहवा कटान स्थल पर कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना में मिट्टी का कार्य।	19.38	9.69
20	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 34.400 से 35.700 के मध्य अतिवृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त स्लोप एवं टाप की पुनर्स्थापना में मिट्टी का कार्य।	19.97	9.985
21	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 35.700 से 35.850 के मध्य जाफरजोत कटान स्थल पर क्षतिग्रस्त कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य।	29.46	14.73
22	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 39.500 से 39.700 के मध्य गढ़मौर कटान स्थल पर कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य।	26.98	14.49
23	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 39.700 से 39.900 के मध्य गढ़मौर कटान स्थल पर झांवा कटर्स की पुनर्स्थापना का कार्य।	19.48	9.74
24	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 41.400 से 43.000 के मध्य अतिवृष्टि से हुई स्लोप एवं टाप की पुनर्स्थापना में मिट्टी का कार्य।	15.80	7.90
25	कूड़ा घोंघी बांध के किमी0 41.500 से 41.700 के मध्य महथावल कटान स्थल पर झांवा कटर्स की पुनर्स्थापना का कार्य।	29.12	14.56
26	कुकुरभुकवा कटान स्थल पर कटाव निरोधक कार्य का पुनर्स्थापना का कार्य।	19.51	9.755
27	मोहम्मद नगर बांध के किमी0 0.000 से 2.200 तक बांध की पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य।	8.88	4.44
28	नौगढ़ बांध पूर्वी के किमी0 0.000 से 1.050 तक तथा नौगढ़ पश्चिमी बांध के किमी0 0.000 से 0.850 के मध्य पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य।	13.00	6.50
29	चित्तापुर बांध के किमी0 0.000 से 7.000 तक अतिवृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त स्लोप एवं टाप की पुनर्स्थापना में मिट्टी का कार्य।	35.00	17.50
30	चैनपुर बांध के किमी0 0.800 से 3.600 तक बांध की पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य।	15.10	7.55
31	गोबर्द्धनपुर बांध के किमी0 2.500 से 5.500 एवं किमी0 9.000 से 10.700 के मध्य बाढ़/अतिवृष्टि से हुई क्षति के पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य।	11.42	5.71
32	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 0.000 से 5.000 एवं किमी0 8.600 से 18.000 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि से पुनर्स्थापना का कार्य।	16.39	8.195
33	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 5.500 से 5.800 के मध्य अतिवृष्टि से नदी साइड स्लोप के पुनर्स्थापना में मिट्टी का कार्य।	2.10	1.05
34	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 6.480 से 7.250 के मध्य अतिवृष्टि से हुई क्षति के पुनर्स्थापना में मिट्टी का कार्य।	6.50	3.25
35	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 7.700 से 8.550 के मध्य अतिवृष्टि से हुई क्षति के पुनर्स्थापना में मिट्टी का कार्य।	4.11	2.055
36	उसका–महादेवा बांध के किमी0 0.000 से 1.800 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षति के पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य।	4.52	2.26

37	उसका–लखनापार बांध के किमी0 0.000 से 8.500 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त स्लोप की पुनर्स्थापना में मिट्टी का कार्य।	3.50	1.750
38	नन्दलालिया बांध के किमी0 0.000 से 1.800 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षति के पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य।	3.83	1.915
39	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 18.125 से 18.400 के मध्य स्लोप एवं टाप की पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य।	3.25	1.625
40	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 18.400 से 26.000 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षति के पुनर्स्थापना मे मिट्टी का कार्य एवं किमी0 29.600 से 29.900 के मध्य बाढ़ बचाव कार्य।	28.50	14.25
41	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 24.650 परसोहिया कटान स्थल पर झांवा कटर्स के पुनर्स्थापना का कार्य।	6.11	3.055
42	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 38.000 से 38.615 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षति के पुनर्स्थापना का कार्य।	3.50	1.75
43	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 31.750 से 31.850 के मध्य बरैनिया कटान स्थल पर झांवा कटर्स के पुनर्स्थापना का कार्य।	16.28	8.14
44	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 34.000 से 35.300 के मध्य अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त साइड स्लोप के पुनर्स्थापना का कार्य।	10.50	5.25
45	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 36.600 से 37.100 के मध्य अतिवृष्टि से हुई क्षति कन्ट्री साइड स्लोप के पुनर्स्थापना मे मिट्टी का कार्य।	10.60	5.30
46	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 29.100 से 29.500 के मध्य क्षतिग्रस्त कटाव निरोधक कार्य के पुनर्स्थापना का कार्य।	25.50	12.75
47	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 27.000 से 27.150 के मध्य लगुहिया कटान स्थल पर क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्स्थापना मे मिट्टी का कार्य।	8.50	4.25
48	लखनापार–बैदौला बांध के किमी0 32.700 से 32.800 पर क्षतिग्रस्त कटाव निरोधक कार्यो के पुनर्स्थापना का कार्य।	10.45	5.225
49	बानगंग बैराज के दायें एवं बायें एफलक्स बांध पर क्रमशः किमी0 0.000 से 4.200 एवं किमी0 0.000 से 4.800 के मध्य क्षतिग्रस्त ढौला एवं रैनकटस भरने का कार्य।	38.50	19.25
50	बानगंगा बैराज के दायें एफलक्स बांध पर कमशः 0.000 से 0.300 के मध्य 04 अदद क्षतिग्रस्त डैम्पनर के पुनर्स्थापना का कार्य।	25.10	12.55
51	बानगंगा बैराज के दायें गाइड बांध पर कमशः किमी0 1.100 से 1.250 तक क्षतिग्रस्त कटर के पुनर्स्थापना का कार्य।	18.15	9.075
52	गलई सागर के तटबन्ध पर किमी0 0.000 से 2.400 तक रैनकटस भरने का कार्य।	2.05	1.025
53	तौलिहवा टोला बालानगर को बूढ़ी राप्ती नदी की अत्यन्त भयंकर कटान से बचाने हेतु बाढ़ के समय कराया गया राहत कार्य। (चूंकि कार्य पूर्व में कराया जा चुका था। अतः पूर्व में आवंटित धनराशि में से दोनों किश्तों का भुगतान किया जा चुका है।)	31.62	15.81 (इस धनराशि को शेष 52 कार्यों के आगणन के सापेक्ष उपयोग किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रहा है।)
	योग	986.76	493.38

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

4- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया

जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं।

शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ् पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

6- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

7- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय । राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के

सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

10- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये ।

11- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-3712(1)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
4- आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सिद्धार्थनगर ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
13/1/14

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।